



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 845]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 845]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.आ. 945(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उक्त अधिनियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामलों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्—

सारणी

क्र.सं. (1)	विद्यमान न्यायालय (2)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (3)
1.	आर्थिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय-सह-VIII अपर मेट्रोपोलिटन सेशन न्यायाधीश न्यायालय-सह-XXII अपर मुख्य न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद	तेलंगाना राज्य
2.	IV अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय-सह-II अपर मेट्रोपोलिटन सेशन न्यायाधीश, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश राज्य

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता के संबंध में बाबत विशेष न्यायालयों के रूप में अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2017

S.O. 945(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh hereby designates the following Courts mentioned in the Table below as Special Courts for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said Act, namely:-

TABLE

Sl. No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Special Court for trial of Economic Offences-cum-VIII Additional Metropolitan Sessions Judge Court-cum-XXII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad	State of Telangana
2	Court of IV Additional District Judge-cum-II Additional Metropolitan Sessions Judge, Visakhapatnam.	State of Andhra Pradesh

2. The aforesaid Courts mentioned in column number (2) shall exercise the jurisdiction as Special Courts in respect of jurisdiction mentioned in column number (3).

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol. IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.